



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 187-2020/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2020 (23 अग्रहायण, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम	
	कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश	
	कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 10/संवि./अनु. 234 तथा 309/2020 दिनांक 14 दिसम्बर, 2020. पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2020 बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	321-326
भाग IV	शुद्धि-पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार****कार्मिक विभाग****अधिसूचना**

दिनांक 14 दिसम्बर, 2020

संख्या सा.का.नि. 10/संवि./अनु. 234 तथा 309/2020.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के साथ पठित अनुच्छेद 234 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा हरियाणा लोक सेवा आयोग तथा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पूर्व पंजाब सरकार, अधिसूचना संख्या 3010—जी—51/1/6094, दिनांक 26 अक्टूबर, 1951, हरियाणा राज्यार्थ, द्वारा प्रकाशित नियमों को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- ये नियम पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) हरियाणा संशोधन नियम, 2020, कहे जा सकते हैं।
- पंजाब सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) नियम, 1951 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम निर्दिष्ट किया गया है) में, भाग क में, नियम 7 ख के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“7.ख (1) इन नियमों में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, सिविल न्यायाधीशों (जूनियर डिवीजन) के वर्तमान में खाली पड़े दो सौ उनतालीस वास्तविक पदों तथा सत्रह प्रत्याशित/अनपेक्षित पदों पर नियुक्ति इसमें, इसके बाद, अधिकथित रीति में प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विशेष भर्ती के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट चयन समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

- मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा मनोनीत पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन न्यायाधीश, जिसमें वरिष्ठतम अध्यक्ष होगा;
- महाधिवक्ता, हरियाणा;
- मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार; तथा
- अध्यक्ष, हरियाणा लोक सेवा आयोग।”

- उक्त नियमों में, “भाग—ग प्रतियोगी परीक्षा” के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:—

“भाग ग—प्रतियोगी परीक्षा

- परीक्षा तीन स्तरों में संचालित की जायेगी, अर्थात्:—
 - प्रारम्भिक परीक्षा;
 - मुख्य परीक्षा; तथा
 - मौखिक परीक्षा।
- चयन समिति प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित करेगी, जिसके आधार पर विज्ञापित पदों के दस गुणा से अनधिक उम्मीदवारों को मुख्य लिखित परीक्षा में उपस्थित होने के लिए योग्यता के अनुसार चयनित सूची में रखेगी। उम्मीदवार जो प्रारम्भिक परीक्षा में 500 अंकों में से कम से कम 150 अंक (सभी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 100 अंक पढ़ें) प्राप्त नहीं करता है, का चयन मुख्य परीक्षा हेतु चयनित सूची में नहीं किया जाएगा। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम परिणाम के लिए नहीं गिना जाएगा। विज्ञापित रिक्तियों की दस गुणा संख्या के बराबर अपने-अपने वर्गों में उनकी योग्यता के अनुसार चयनित उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। तथापि, मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की संख्या परिवर्तन के अधधीन होगी। यदि अन्तिम स्थान (अन्तिम संख्या) पर रहने वाले दो या अधिक उम्मीदवार बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तब उन सभी उम्मीदवारों को नियत अनुपात में समरूपी वृद्धि प्राधिकृत करते हुए मुख्य परीक्षा हेतु बैठने के लिए पात्र समझा जाएगा।
- मुख्य लिखित परीक्षा ऐसे स्थान पर तथा ऐसी तिथि को आयोजित की जाएगी, जो राजपत्र में अधिसूचित की जाए।
- परीक्षा में प्रवेश के लिए फीस ऐसी होगी, जो राज्य सरकार, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचित करे, जो सरकारी खजाना में भुगतानयोग्य होगी या पोस्टल आर्डर द्वारा सचिव, हरियाणा लोक सेवा आयोग को भुगतानयोग्य होगी।
- चयन समिति प्रश्न-पत्रों को तैयार, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेगी तथा मौखिक परीक्षा आयोजित करेगी। प्रश्न-पत्रों को तैयार करने तथा उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के सम्बन्ध में सभी आनुषंगिक/प्रासंगिक कार्यवाही भर्ती समिति द्वारा की जायेगी। भर्ती प्रक्रिया जैसे आवेदन मांगने तथा छानबीन करने, उम्मीदवारों को रोल नम्बर तथा प्रवेश पत्र जारी करने का उत्तरदायित्व हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा।

6. उम्मीदवार परीक्षा के समय पर प्रवेश प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।
7. मुख्य लिखित परीक्षा छह पेपरों (पांच लिखित तथा एक मौखिक परीक्षा) की होगी। पेपर की किस्म तथा पाठ्यक्रम निम्न अनुसार होगा :-
- | | | |
|------------------------|---|---------|
| पेपर - I सिविल लॉ- I | सिविल प्रक्रिया संहिता, पंजाब न्यायालय अधिनियम, भारतीय संविदा अधिनियम, भारतीय भागीदारी अधिनियम, माल विक्रय अधिनियम, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियंत्रण) अधिनियम, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। | 200 अंक |
| पेपर - II सिविल लॉ- II | हिन्दू लॉ, मोहम्मद लॉ तथा कस्टमरी लॉ, रजिस्ट्रेशन तथा लिमिटेशन लॉ। | 200 अंक |
| पेपर - III क्रिमिनल लॉ | भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। | 200 अंक |
| पेपर - IV अंग्रेजी | अंग्रेजी पेपर 200 अंकों का होगा तथा इसमें निम्नलिखित होगा :- | |
| | 1. अंग्रेजी निबन्ध (1000-1100 शब्द) | 100 अंक |
| | 2. प्रैसी | 25 अंक |
| | 3. शब्द तथा वाक्यांश (दिए गए शब्दों तथा वाक्यांशों के वाक्य बनाना) | 25 अंक |
| | 4. बौद्धिक | 25 अंक |
| | 5. शुद्धि | 25 अंक |
| पेपर- V भाषा | हिन्दी (देवनागरी लिपि में) | 100 अंक |
| पेपर- VI मौखिक | उम्मीदवार के व्यक्तिगत गुणों को आंकने। मौखिक परीक्षा साधारण रुचि के मामलों से सम्बन्धित होगी तथा उम्मीदवार की जागरूकता, बुद्धि तथा सामान्य दृष्टिकोण की परीक्षा के लिए आशयित है। यह अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। | 200 अंक |

टिप्पण:-

- (i) केवल विधायी अधिनियमितियों की अनावृत्त प्रतियां दी जाएंगी ;
- (ii) प्रत्येक लिखित पेपर तीन घंटे की अवधि का होगा; तथा
- (iii) भाषा पेपर का मानक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा जैसा होगा। भाषा पेपर (v) में निम्नलिखित शामिल होगा :-
- (क) अंग्रेजी लेखांश का हिन्दी में अनुवाद : 20 अंक
- (ख) हिन्दी लेखांश की गद्य में तथा उसी भाषा में पद्य की व्याख्या : 30 अंक
- (ग) संयोजन (निबन्ध, मुहावरे तथा शुद्धियां इत्यादि) : 50 अंक

कुल : 100 अंक

8. किसी भी उम्मीदवार को किसी लिखित पेपर में किसी अंक से तब तक कोई आंकलित नहीं किया जाएगा जब तक वह उसमें कम से कम तैंतीस प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता है।
9. मौखिक परीक्षा में उपस्थिति अनिवार्य है। किसी भी उम्मीदवार को मौखिक परीक्षा के लिए तब तक नहीं बुलाया जाएगा जब तक वह सभी लिखित पेपरों के पूर्णयोग में कम से कम पचास प्रतिशत अर्हक अंक प्राप्त नहीं करता है। तथापि, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, दिव्यांग तथा केवल भूतपूर्व सैनिक (परन्तु भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को नहीं) के प्रवर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवार के लिए अर्हक अंक पैंतालीस प्रतिशत होंगे :

परन्तु लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के अनुसार मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों की संख्या के तीन गुणा से अधिक नहीं होगी। तथापि, यदि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाला अन्तिम उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करने वाले बराबर उम्मीदवारों से तीन गुणा अधिक हैं, तो सभी

समान अंको वाले उम्मीदवार साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे, इस तथ्य के बावजूद कि साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या तीन गुणा से अधिक है :

परन्तु यह और कि केवल वे ही उम्मीदवार सिविल न्यायाधीशों/न्यायिक मजिस्ट्रेटों के रूप में भर्ती के लिए पात्र होंगे जिन्होंने मुख्य लिखित परीक्षा तथा मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के पूर्णयोग में पचास प्रतिशत या अधिक अंक (अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, दिव्यांग तथा केवल भूतपूर्व सैनिक परन्तु भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को नहीं के प्रवर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए पैंतालीस प्रतिशत) प्राप्त किए हैं।

10. परीक्षा का परिणाम राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. उम्मीदवार असल में नियुक्ति के लिए उसी क्रम में चयनित किए जाएंगे जिसमें वे चयन समिति द्वारा रखे गए हैं :

परन्तु अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों की दशा में ऐसा उम्मीदवार जो परीक्षा में उस द्वारा प्राप्त स्थिति को विचार में लाए बिना अर्हित हो, योग्यता के अनुसार चयन का अधिकार चयन समिति के पास होगा :

परन्तु यह और कि परस्पर योग्यता के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों का चयन उनके लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध तथा चयन समिति द्वारा अपनाई गई रीति में किया जाएगा।

12. प्रत्येक चयनित उम्मीदवार परीक्षा के बाद ऐसे स्थायी चिकित्सा बोर्ड जो महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा द्वारा निश्चित किया जाए, से सरकारी सेवा के लिए चिकित्सा उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

उम्मीदवारों का अपेक्षित चिकित्सा उपयुक्तता का मानक इन नियमों के परिशिष्ट ग में दिया गया है।”।

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

[Authorised English Translation]

**HARYANA GOVERNMENT
PERSONNEL DEPARTMENT**

Notification

The 14th December, 2020

No. G.S.R. 10/Const./Art. 234 and 309/2020.— In exercise of the powers conferred by article 234 read with the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana after consultation with the Haryana Public Service Commission and the High Court of Punjab and Haryana, hereby makes the following rules to further amend the rules published by erstwhile Punjab Government, notification No. 3010-G-51/1/6094, dated the 26th October, 1951, in their application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Civil Service (Judicial Branch) Haryana Amendment Rules, 2020.
2. In the Punjab Civil Service (Judicial Branch) Rules, 1951 (hereinafter referred to as the said rules), in Part A, for rule 7B, the following rule shall be substituted, namely :—

“7B (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in these rules, appointment to two hundred and thirty nine presently lying vacant and seventeen anticipatory/unforeseen posts of Civil Judges (Junior Division) shall be made by the State Government through Special recruitment on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose in the manner hereinafter laid down.

(2) The Selection Committee referred to in sub-rule (1) shall comprise of the following members, namely:—

- (i) three Judges of the High Court of Punjab and Haryana nominated by the Chief Justice, of whom the senior-most shall be the Chairman;
- (ii) the Advocate General, Haryana;
- (iii) the Chief Secretary to Government, Haryana; and
- (iv) the Chairman of the Haryana Public Service Commission.”.

3. In the said rules, for “PART C—COMPETITIVE EXAMINATION”, the following shall be substituted, namely:—

“PART C—COMPETITIVE EXAMINATION

1. The examination shall be conducted in three stages, namely :—
 - (i) Preliminary examination;
 - (ii) Main examination; and
 - (iii) Viva-Voce.
2. The Selection Committee shall hold a preliminary examination on the basis of which candidates not more than ten times of the advertised posts shall be shortlisted in order of merit for appearing in the main written examination. The candidate who does not secure minimum 150 marks (read 100 marks for all reserved category candidates) out of total 500 marks in the preliminary examination shall not be short-listed for the main examination. The marks obtained in the preliminary examination shall not be counted towards final result. Candidate equal to ten times the number of vacancies advertised, selected in order of their merit in the respective categories shall become eligible to sit in the Main Examination. However, the number of the candidates for the main examination shall be subject to variation. If two or more candidates at the last number (the number at the end) get the equal marks, then all of them shall be considered eligible to sit for the Main Examination, warranting the corresponding increase in the stipulated ratio.
3. The main written examination shall be held at such place and on such date, as may be notified in the Official Gazette.
4. Fee for admission to the examination shall be such, as the State Government may, from time to time, notify in the Official Gazette, which shall be payable to Government Treasury or by way of postal order payable to the Secretary, Haryana Public Service Commission.
5. The Selection Committee shall set up the question papers, evaluate the answer sheets and conduct the viva-voce. All the ancillary/incidental steps in respect of setting up of the question papers and evaluation of answer sheets shall be undertaken by the Recruitment Committee. The recruitment process such as inviting and screening the applications, issuing the roll numbers and admit cards to the candidates shall be undertaken by the Haryana Public Service Commission.

6. The candidate shall produce the admission certificate at the time of the examination.
7. The main written examination shall consist of six papers (five written and one viva-voce test). The description of papers and syllabi shall be as under :—

Paper-I Civil Law-I	Code of Civil Procedure, Punjab Courts Act, Indian Contract Act, Indian Partnership Act, Sale of Goods Act, Specific Relief Act, Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Act, 1973 and Indian Evidence Act.	200 Marks
Paper-II Civil Law-II	Hindu Law, Mohammadan Law and Customary Law, Law of Registration and Limitation.	200 Marks
Paper-III—Criminal Law	Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act.	200 Marks
Paper-IV English	The English paper shall be of 200 marks and will consist of the following :— 1. English Essays (1000-1100 words) 2. Precis 3. Words and Phrases (make sentences of the given words and phrases) 4. Comprehension 5. Corrections	100 Marks 25 Marks 25 Marks 25 Marks 25 Marks
Paper-V Language	Hindi [in Devnagri Script]	100 Marks
Paper-VI Viva-Voce	To judge the personal qualities of the candidates. The viva-voce test shall relate to the matters of general interest and is intended to test the candidates' alertness, intelligence and general outlook. It shall be conducted in English	200 marks.

Note.—

- (i) Only bare copies of legislative enactments shall be supplied.
- (ii) Each written paper shall be of three hours duration.
- (iii) The standard of the language paper shall be that of Matriculation Examination of the Board of School Education, Haryana. Language paper (V) shall comprise the following:-

(a)	Translation of an English passage into Hindi	:	20 Marks
(b)	Explanation of Hindi passage in prose and Poetry in the same language.	:	30 Marks
(c)	Composition [Essay, idioms and correction etc.]	:	50 Marks
Total			: 100 Marks

8. No candidate shall be credited with any marks in any written paper unless he obtains at least thirty three percent marks in it.
9. Appearance in viva-voce is mandatory. No candidate shall be called for the viva-voce test unless he obtains at least fifty percent qualifying marks in the aggregate of all the written papers. However, for the candidate belonging to the categories of Scheduled Caste, Backward Classes, Physically Handicapped and Ex-Serviceman Candidates only (but not dependents of ESM) the qualifying marks shall be forty five percent:

Provided that the number of candidates to be called for viva-voce test in order of the marks obtained in the written examination shall not exceed three times the number of vacancies advertised. However, if the last candidate to be called for interview is bracketed with the candidates exceeding three times by obtaining equal marks then all the bracketed candidates shall be called for interview, inspite of the fact that the number of candidates to be called for interview exceeds three times:

Provided further that only those candidates shall be eligible to be recruited as Civil Judges/Judicial Magistrates who secure fifty percent or more marks (forty five percent for the Scheduled Caste, Backward Classes, Physically Handicapped and Ex-Serviceman Candidates only but not dependents of ESM candidates in aggregate of the marks secured in the main written examination and the viva-voce.

10. The result of the examination shall be published in the Official Gazette.
11. Candidates shall be selected for appointment strictly in the order in which they have been placed by the Selection Committee:

Provided that in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes, Selection Committee shall have a right to select in order of merit a candidate who has merely qualified irrespective of the position obtained by him in the examination:

Provided further that the selection of candidates belonging to the Scheduled Castes and Backward Classes in the order of merit inter-se shall be made against the vacancies reserved for them and in the manner to be adopted by the Selection Committee.

12. After the examination, each selected candidate shall produce a certificate of medical fitness for the Government service from such Standing Medical Board, as may be arranged by the Director General, Health Services, Haryana.

The standard of Medical Fitness required of the candidates is given in Appendix C to these rules”.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.